संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ऑनलाईन संस्था पंजीयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 1–ख के प्रावधानानुसार किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक, या पूर्त प्रयोजन के लिए या किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो धारा 20 में वर्णित है, सहयुक्त कोई सात या अधिक व्यक्ति एक संगम के ज्ञापन में अपने नाम हस्ताक्षरित करके और उसे रजिस्ट्रार के पास दाखिल करके इस अधिनियम के अधीन अपने आपको सोसाइटी के रूप में गठित कर सकेंगे।

उक्त अधिनियम की धारा 2(1) के प्रावधानानुसार संगम के ज्ञापन में निम्नलिखित बाते होंगी, अर्थात्–

(क) सोसाइटी का नाम,

(ख) सोसाइटी के उद्धेश्य,

(ग) परिषद्, समिति या अन्य शासी निकाय के, जिनको कि सोसायटी के नियमों और विनियमों द्वारा उसके काम–काज का प्रबन्ध सौपा गया है, व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों, सदस्यों (जिस किसी भी नाम द्वारा उन्हें पदाविहित किया जावे) के नाम, पते और उपजीविकाएं।

साथ ही उक्त अधिनियम की धारा 2(2) में प्रावधान है कि सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति जो शासी निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों में से तीन से अन्यून द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित हो, संगम के ज्ञापन के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार करने की प्रक्रिया

राज्य सरकार द्वारा अब संस्था पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत सोसाइटियों के ऑनलाईन पंजीकरण की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है, ताकि किसी भी आवेदक को कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित हुए बिना ही बिना किसी सुदीर्घ प्रक्रिया के सोसाइटी पंजीयन करवा सकने की सुविधा प्राप्त हो सके।

कोई भी आवेदक, जो संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीयन करवाना चाहता है, तो वह इस ऑनलाईन पंजीकरण की सुविधा का लाभ निम्नानुसार तीन विभिन्न प्रकार से प्राप्त कर सकता है –

1. स्वयं इन्टरनेट के माध्यम से।
2. ई–मित्र कियोस्क पर जाकर।
3. एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से।

यह सुविधा सिंगल विण्डों क्लियरेन्स सिस्टम (single window clearance system) के अन्तर्गत swcs.rajasthan.gov.in पर होम पेज पर सहकारिता विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति, जिसे सोसाइटी पंजीकृत करवानी है, उसके लिए इस हेतु ऑनलाईन पंजीयन हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन उपलब्ध करवाया गया है।

विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध प्रारूप में आवेदकों की सुविधा हेतु प्रस्तावित सोसाइटी के ''उद्देश्य'' (objects) एवं ''नियम और विनियम'' (Rules and Regulations) का प्रारूप डाउनलोड किये जा सकने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। यद्यपि ऐसे उद्देश्य एवं नियम और विनियमों का उक्त प्रारूप बाध्यकारी न होकर केवल सुझावात्मक एवं उदाहरण के तौर पर डाले गये हैं। आवेदक

चाहे तो स्वयं के स्तर से अधिनियम के प्रावधानों से सुसंगत रहकर तैयार किये गये ''उद्देश्य'' एवं ''नियम और विनियम'' तीन पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित रूप में पी.डी.एफ. फॉर्मेट में ऑनलाईन आवेदन के साथ यथास्थान अपलोड कर सकते हैं।

ऑनलाईन पंजीयन हेतु संस्था के सभी आवेदक सदस्यों एवं कार्यकारिणी सदस्यों के आधार कार्ड नंबर अथवा भामाशाह कार्ड नंबर अनिवार्य होंगे। ऑनलाईन आवेदक को सभी सदस्यों/कार्यकारिणी सदस्यों के भामाशाह/आधार कार्ड के नंबर ऑनलाईन आवेदन में भरने होंगे तथा ऐसे भामाशाह/आधार कार्ड का ओ.टी.पी. (one time password) संबंधित मोबाईल पर प्राप्त कर उसको ऑनलाईन पंजीयन हेतु फीड करना होगा, ताकि आवेदन पत्र भरा जा सके।

ऑनलाईन पंजीयन के माध्यम से संस्था को बी.आर.एन. (Buisness Registration No.) भी प्रदत्त किया जायेगा।

उक्तानुसार प्राप्त आवेदन पत्र का संबंधित रजिस्ट्रार, संस्थायें द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिक के माध्यम से अधिनियम, 1958 के प्रावधानान्तर्गत परीक्षण करवाया जायेगा। यदि प्राप्त आवेदन परीक्षणोपरान्त अधिनियम की धारा 20 से सुसंगत नहीं पाया जाता है, अथवा उसमें विभागीय दिशा निर्देशों के अन्तर्गत कोई अन्य आक्षेप उपस्थित होता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित रजिस्ट्रार, संस्थायें द्वारा आवेदक को ई–मेल के माध्यम से आक्षेपपूर्ति संबंधी सूचना प्रेषित की जावेगी तथा समस्त आक्षेपों की पूर्ति हो जाने के पश्चात् ही पंजीयन शुल्क जमा करवाया जावेगा।

रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन को पंजीयन योग्य पाये जाने पर संस्था के पंजीयन हेतु पंजीयन शुल्क जमा कराने संबंधी ऑनलाईन सूचना दी जावेगी, जिसके पश्चात् आवेदक द्वारा ऑनलाईन ही निर्धारित पंजीयन शुल्क जमा करवाया जावेगा, जिसके पश्चात् संबंधित रजिस्ट्रार, संस्थायें द्वारा ऐसी संस्था का पंजीयन कर पंजीयन प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया जावेगा, जिस पर पंजीकरण अधिकारी के डिजिटल–हस्ताक्षर होंगे।

ऑनलाईन आवेदन के प्रस्तुतिकरण, उसे संबंधित कार्मिक को हस्तान्तरित करने, ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का आक्षेप, यदि कोई हो, पंजीकरण शुल्क जम कराने तथा पंजीकरण हो जाने संबंधी सभी सूचनायें आवेदकों की एस.एस.ओ. आई.डी एवं पंजीकृत मोबाईल पर एस.एम.एस. के माध्यम से तथा ई–मेल के माध्यम से भी उपलब्ध करवाई जावेंगी।

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन हो जाने पर आवेदक संबंधित रजिस्ट्रार, संस्थायें के डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त कार्यकारिणी की सूची, संस्था के सदस्यों की सूची, नियमों–विनियमों एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति ऑनलाईन प्राप्त कर सकेगा, जिन पर क्यू.आर. कोड भी अंकित होगा। कोई भी व्यक्ति उस क्यू.आर. कोर्ड को स्कैन करके यह जानकारी प्राप्त कर सकेगा कि यह दस्तावेज किस प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.4(5)सह/1991/पार्ट जयपुर, दिनांक 03.05.12 एवं 29.05.17 के द्वारा उक्त अधिनियम में पंजीकृत होने वाली विभिन्न संस्थाओं हेतु निम्नानुसार पंजीयन शुल्क निर्धारित किया हुआ है –

(i)	गौ सेवा समितियों का पंजीयन शुल्क	100/–
(ii)	राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत सेक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट सोसायटी, जलधारा समितियों, भू–जल संरक्षण विभाग के अन्तर्गत वाटर शेड्स	500/–

	कार्यक्रम की क्षेत्रीय समितियों का पंजीकरण शुल्क	
(iii)	नेहरू युवा मण्डलों का पंजीकरण शुल्क	250/–
(iv)	राजीव गांधी यूथ क्लबों का पंजीकरण शुल्क	250/–
(v)	राजकीय विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति (SMC) और विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति (SMDC) का पंजीयन शुल्क	250/–
(vi)	अन्य समस्त संस्थायें	10,000/–

2. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची –

1. सभी आवेदक एवं शासी निकाय (कार्यकारिणी) सदस्यों के आधार अथवा भामाशाह कार्ड संख्या
2. संस्था के उद्देश्य
3. संस्था के नियम एवं विनियम

3. समय सीमा का निर्धारण।

सामान्य परिस्थितियों में प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण कर, आक्षेप पूर्ति, यदि कोई हो, किये जाने तथा निर्धारित पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात् तीस कार्य दिवसों में संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाना अपेक्षित है। किन्तु कतिपय तकनीकी कारणों, यथा–सर्वर डाउन होने, बिजली आपूर्ति नहीं होने, कम्प्यूटर सिस्टम खराब होने आदि की स्थिति में विभागीय सेवा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं करायी जा सकेगी।

संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ऑनलाईन संस्था पंजीयन हेतु इस लिंक पर क्लिक करे - swcs.rajasthan.gov.in